राजस्व वाद बाबत् बंटवाड़ा एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53 एवं 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 तारीख रजू: 28/08/2017

उपस्थितः– 1. श्री ओमप्रकाश पंचारिया, अधिवक्ता, वादी।
2. श्री रामस्वरूप चौधरी, अधिवक्ता, प्रतिवादीगण।

–:: निर्णय ::–

दिनॉकः– 27/09/2018

वकील मय वादी ने एक राजस्व वाद बाबत् बंटवाड़ा एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53 एवं 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, के तहत् इस आशय का पेश किया कि सरहद मौजा–भाकरवास, पटवार हल्का सांगावास, तहसील–जैतारण में वादीगण एवं प्रतिवादीगण की सामलाती खातेदारी एवं कब्जे काश्त की कृषि भूमि खसरा नम्बर 20 रकबा 73–04 बीघा किस्म चाही प्रथम आई हुई है जमाबंदी संवत् 2071–2074 व नक्शा ट्रेस की प्रमाणित प्रति पेश है। पद संख्या 1 में वर्णित कृषि भूमि में वादी संख्या 01 के 1/4 हिस्से में 1/18 अर्थात् 1/72 वां हिस्सा 1 बीघा कृषि भूमि तथा वादी संख्या 02 का 1/4 हिस्से में 17/18 वां का 25/340 हिस्से के खातेदार काश्तकार है वादी संख्या 01 व 02 के हिस्से की भूमि के चारों ओर खदक व उस पर तारबंदी की हुई है तथा वादीगण माफिक हिस्सेनुसार काबिज होकर काश्त करते है तथा वादीगण की उक्त कृषि भूमि सड़क पर स्थित है। वादी संख्या 1 व 2 को प्रस्तुत नजरी नक्शेनुसार मौके पर बंटवाड़ा होकर काश्त करते आ रहे है। पद संख्या 1 में दर्ज कृषि भूमि खातेदारान की राजस्व रेकर्ड की जमाबंदी व ट्रेस नक्शे में सामलाती खातेदारी में दर्ज है जिसका कानून बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के बंटवाड़ा किया जाना आवश्यक है खातेदारान की सामलाती खातेदारी की कृषि भूमि होने से वादीगण अपनी कृषि भूमि को उन्नत तरीके से खेती करने हेतु खाद, बीज हेतु बैक से ऋण लेने में व बैक से किसान क्रेडिड कार्ड बनवाने में व अपने हिस्से वादीगण अपने हिस्से कृषि भूमि को अकृषि कार्य तथा वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ, उन्नत कार्य हेतु परेशानी होती है इतना ही नहीं वादीगण के खेत के चारों ओर की गई खंदक व तारबंदी को प्रतिवादीगण खुर्द बुर्द तोड़फोड़ करते रहते है वादीगण की कृषि भूमि को अपनी कृषि भूमि में मिलाते रहते है वादीगण की कृषि भूमि को अपनी कृषि भूमि में मिलाते रहते है। खडे पेड पौधों को काट देते है मना करने पर नहीं मानते है वादीया संख्या 01 की कृषि भूमि को प्रस्तुत नजरी नक्शें में हरे रंग से व वादी संख्या 2 की कृषि भूमि को लाल रंग से दर्शाया है वादीगण ने सामलाती कृषि भूमि को बंटवाड़ा हेतु दिनांक 20/07/2017 को प्रतिवादीगण को कहां तो स्पष्ट इंकार हुए इतना ही नहीं वादीगण को प्रतिवादीगण ने उनके हिस्से की कृषि भूमि से बेदखल करने व काश्त नहीं करने की धमकी दी व सामलाती भूमि को बैचान, हस्तांतरण करने की धमकी दी यदि प्रतिवादीगण गैरकानूनी कृत्य करने में सफल हो जाते है तो वादीगण के हक व अधिकार प्रभावित होगें उपरोक्त कारणों से वादीगण ने यह वाद बंटवाड़ा व स्थाई निषेधाज्ञा का विरूद्ध प्रतिवादीगण के पेश है। तहसीलदार जैतारण भूमिधारी राजस्थान सरकार होने से आवश्यक पक्षकार होने से पक्षकार बनाया है। बिनाय वाद दिनांक 20/07/2017 को वादीगण ने प्रतिवादीगण को बंटवाड़ा बाबत् कहां तो स्पष्ट इंकार होना व वादीगण को उनके हिस्से की भूमि से बेदखल करने व काश्त नहीं करने की तथा सामलाती भूमि को बैचान हस्तान्तरण करने की धमकी देने पर बमुकाम भाकरवास पटवार हल्का सांगावास तहसील जैतारण जिला पाली में पैदा हुआ जो श्रीमान् के क्षैत्राधिकार में है।

वादी का दावा दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रति0 संख्या 01 से 18, 20 से 26 को बावजूद सम्मनस् तामिली / सूचना के अनुपस्थित रहने से एक पक्षीय कार्यवाही की गई। प्रतिवादी सं. 19 की ओर से वकालतनामा एवं जवाब दावा मय काउण्टर क्लेम पेश किया, सा0गि0 किया गया।

(मोहनलाल खटनावलिया)
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

काउन्टर क्लेम पर वकील वादीगण को आपत्ति नही हैं। काउण्टर क्लेम में व्यक्त किया है सरहद मौजा भाकरवास पटवार हल्का सांगावास तहसील-जैतारण में प्रतिवादी वादी एवं वादी प्रतिवादीगण की सामलाति खातेदारी एवं कब्जा काश्त की कृषि भूमि खसरा नम्बर 20 रकबा 73-04 बीघा किस्म चाही प्रथम आई हुई है। जिसमें प्रतिवादी वादी का 10/47 वा हिस्सा है। प्रतिवादी वादी के हिस्से की कृषि भूमि में उसके 10/47 वां हिस्से के चारों और खंदक व तारबंदी की हुई है। प्रतिवादी वादी का हिस्सा जैतारण से निमाज जाने वाली मुख्य सड़क पर स्थित है। प्रतिवादी वादी की और से काउन्टर क्लेम के साथ नजरी नक्शा साथ पेश है। जिसमें प्रतिवादी वादी की भूमि को नजरी नक्शा में पीले रंग से दर्शाया है। नजरी नक्शा को काउन्टर क्लेम आवश्यक भाग माना जावें। दिनांक 20/07/2017 को वादी प्रतिवादी द्वारा बंटवाड़ा करने हेतु कहा परन्तु अन्य खातेदारान मौके पर उपस्थित नहीं होने के कारण बंटवाड़ा नहीं हो सका। जिसके संबंध में उक्त वाद श्रीमान् के समक्ष लम्बित है। दिनांक 10/05/2018 को प्रतिवादी वादी द्वारा वादी प्रतिवादी को अपने हिस्से की कृषि भूमि का भी बंटवाड़ा करवानें हेतु कहा जिस बाबत् वाद लम्बित् होने से मल्टीप्लीसिटी ऑफ प्रोसेडिग्स् रोकने के लिए व वादी प्रतिवादी द्वारा उक्त वाद में अपने 10/47 वें हिस्से का कानून नजरी नक्शा अनुसार बंटवाड़ा करने हेतु काउन्टर क्लेम पेश है। प्रतिवादी नजरी नक्शे में बताये पिले रंग के अपने हिस्से की कृषि भूमि का उपयोग उपभोग करें या करावें तो वादी प्रतिवादी व अन्य खातेदारान द्वारा दखलदांजी व दस्तनअदाजी नही करें जरिये स्थाई निषेधाज्ञा के रोका जावें। वादीगण एवं प्रति. 19 ने वाद के समर्थन में साक्ष्य के शपथ पत्र पेश किये, सा0 मि0 हैं।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रस्तुत वाद-पत्र मय शपथ-पत्र एवं दस्तावेजात एवं जवाब दावा मय काउन्टर क्लेम तथा वादीगण एवं प्रति. 19 ने वाद के समर्थन में साक्ष्य के शपथ पत्र पेश का गहनता से अध्ययन किया गया तथा बहस पर गौर कर मनन किया गया। वस्तुतः वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 19 राजस्व रेकर्ड स्वयं अपने हिस्से के खातेदार काश्तकार दर्ज हैं। वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 19 अपनी आराजी का बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस तकासमा चाहता हैं। लिहाजा वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 19 के हिस्से की भूमि का बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस् के बंटवाडा की प्राथमिक डिक्री जारी कर बंटवाडा करवाया जाना उचित समझते हुए माफिक राजस्व रिकार्ड प्रा0डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की सादिर की जाती है कि सरहद मौजा-भाकरवास, पटवार हल्का सांगावास, तहसील-जैतारण में वादीगण एवं प्रतिवादीगण की सामलाती खातेदारी एवं कब्जे काश्त की कृषि भूमि खसरा नम्बर 20 रकबा 73-04 बीघा किस्म चाही प्रथम की भूमि में वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 19 के हक हिस्से की भूमि का मौके पर बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस के बंटवाड़ा करवाया जाकर खाता व लगान अलग अलग किया जावें। मौके पर नापचौप करके नेखमबन्दी व पत्थरगढ़ी करवाई जाकर नजरी नक्शा बनाया जावें। तहसीलदार जैतारण को बंटवाड़ा करवाने हेतु अधिकृत किया जाकर पत्रांक/कोर्ट/2018/756 दिनांक 01/08/2018 द्वारा आदेशित किया गया। तहसीलदार, जैतारण ने अपने क्रमांक/भू0अ0/2018/5003 दिनांक 31/08/2018 द्वारा प्राथमिक डिक्री की पालना अर्थात् बंटवाड़ा रिपोर्ट /विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा सहित प्रस्तुत की, सा0मि0 की गई।

बहस वकील वकुलाय सुनी गई। बहस के दौरान वकुलाय ने माफिक बंटवाड़ा रिपोर्ट विभाजन प्रस्ताव वादी का वाद डिक्री किया जाकर बंटवाड़ा किये जाने की ईश्तदुआ की हैं। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया, बहस वकुलाय एवं पालना

(मोहनलाल खटनावलिया)
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

रिपोर्ट पर गौर किया। लिहाजा माफिक बंटवाड़ा रिपोर्ट /विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा वादीगण का वाद डिक्री किया जाकर बंटवाड़ा किया जाना उचित समझते हैं।

-:: आदेश ::-

अतः माफिक बँटवाड़ा रिपोर्ट मय नजरी नक्शा अंतिम डिक्री बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती हैं कि राजस्व सरहद मौजा-भाकरवास, पटवार हल्का सांगावास, तहसील-जैतारण में वादीगण एवं प्रतिवादीगण की सामलाती खातेदारी एवं कब्जे काश्त की कृषि भूमि खसरा नम्बर 20 रकबा 73-04 बीघा किस्म चाही प्रथम की भूमि में वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 19 के हक हिस्से की भूमि का बँटवाड़ा अर्थात् विभाजन निम्नांकित रूप से किया जाता हैं :-

क्र. सं.	नाम खातेदारान मय वल्दियत व सकूनत	खसरा नम्बर	रकबा बीघा बिस्वा बिस्वांसी	किस्म	लगान
1	घनश्याम पुत्र सतुराम कौम खटीक सा.जैतारण खातेदार	20/1	0-10-00	चाही प्रथम	0.31
2	मिश्रीलाल पुत्र हरीराम कौम सुथार सा.निम्बेड़ा कलां तह.रायपुर खातेदार	20/2	1-06-00	चाही प्रथम	0.82
3	पुष्पा जोजे मगाराम कौम सुथार सा. जैतारण खातेदार	20/3	1-00-00	चाही प्रथम	0.62
4	लाबुराम रावतराम सुखाराम मोटाराम पि. उदा हिस्सा 366/1408 बगदाराम भीकाराम पि.मांगीया चुन्नीदेवी पत्नी मांगीया हिस्सा 183/1408 नारायणलाल बाबुलाल लादुराम रूघाराम मांगीलाल ओमाराम पि.जोगाराम हिस्सा 183/1408 कालुराम पुत्र जोगाराम हिस्सा 17/1408 सीरवी नेमाराम पुत्र कालुराम हिस्सा 21/1408 कौम सीरवी सा. भाकरवास ओगड़ पुत्र जोगा ओगड़राम पुत्र जोगाराम हिस्सा 94/1408 कालुराम पुत्र जोगाराम हिस्सा 17/1408 धर्माराम पुत्र बिरदाराम राजुराम पुत्र ओगड़राम हिस्सा 30/1408 ओगड़ पुत्र जोगा 71/1408 कौम सीरवी सा.देह रावतराम पुत्र उदाराम 25/1408 भंवरलाल रतनाराम अमराराम पि. खीयाराम ताराराम पनाराम पि. रूपाराम 35/1408 कौम सीरवी भंवरलाल रतनाराम अमराराम पि. खीयाराम पन्नाराम ताराराम पि. रूपा 366/1408 कौम सीरवी सा.देह खातेदार	20	70-08-00	चाही प्रथम	112

तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें। बंटवाड़ा रिपोर्ट /विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा निर्णय का एक भाग माना जावें। वादी के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी करने से प्रतिवादीगण को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा रोका जाता हैं। तहसीलदार जैतारण को डिक्री पर्चा डिक्री पर्चा बनाया जाकर पत्रावलीबद्ध किया जावें।

(मोहनलाल अटनावलिया)
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

मय बंटवाड़ा रिपोर्ट की प्रति भेजकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर /लेख्य भण्डार जमा हो।

(मोहनलाल अटनावलिया)
उपखण्ड अधिकारी जैतारण
जिला पाली (राज.)

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

निर्णय आज दिनॉक 27/09/2018 को सरे ईजलास में सुनाया गया।

(मोहनलाल अटनावलिया)
उपखण्ड अधिकारी,जैतारण
जिला पाली (राज.)

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner